



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड I

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2006 / ज्यैष्ठ 26, 1928

No. 31]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2006 / JYAISTHA 26, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 16th June, 2006/Jyaistha 26, 1928 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 16th June, 2006, and is hereby published for general information:—

THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT, 2006

No. 27 OF 2006

[16th June, 2006.]

An Act to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS a declaration as to expediency of control of certain industries by the Union was made under section 2 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951;

AND WHEREAS it is expedient to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Advisory Committee" means the committee constituted by the Central Government under sub-section (2) of section 7;

(b) "appointed day" means the day following immediately after the expiry of the period of fifteen days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or any services by a buyer from a supplier.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(i) "the day of acceptance" means,—

(a) the day of the actual delivery of goods or the rendering of services; or

(b) where any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within fifteen days from the day of the delivery of goods or the rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier;

(ii) "the day of deemed acceptance" means, where no objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within fifteen days from the day of the delivery of goods or the rendering of services, the day of the actual delivery of goods or the rendering of services;

(c) "Board" means the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises established under section 3;

(d) "buyer" means whoever buys any goods or receives any services from a supplier for consideration;

(e) "enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services; 65 of 1951.

(f) "goods" means every kind of movable property other than actionable claims and money;

(g) "medium enterprise" means an enterprise classified as such under sub-clause (iii) of clause (a) or sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 7;

(h) "micro enterprise" means an enterprise classified as such under sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 7;

(i) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981; 61 of 1981.

(j) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934; 2 of 1934.

(m) "small enterprise" means an enterprise classified as such under sub-clause (ii) of clause (a) or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 7;

(n) "supplier" means a micro or small enterprise, which has filed a memorandum with the authority referred to in sub-section (1) of section 8, and includes,—

(i) the National Small Industries Corporation, being a company, registered under the Companies Act, 1956; 1 of 1956.

(ii) the Small Industries Development Corporation of a State or a Union territory, by whatever name called, being a company registered under the Companies Act, 1956;

(iii) any company, co-operative society, trust or a body, by whatever name called, registered or constituted under any law for the time being in force and engaged in selling goods produced by micro or small enterprises and rendering services which are provided by such enterprises;

(o) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India established under sub-section (1) of section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;

(p) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution.

CHAPTER II

NATIONAL BOARD FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint, there shall be established, for the purposes of this Act, a Board to be known as the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises. Establishment of Board.

(2) The head office of the Board shall be at Delhi.

(3) The Board shall consist of the following members, namely:—

(a) the Minister in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the micro, small and medium enterprises who shall be the *ex officio* Chairperson of the Board;

(b) the Minister of State or a Deputy Minister, if any, in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the micro, small and medium enterprises who shall be *ex officio* Vice-Chairperson of the Board, and where there is no such Minister of State or Deputy Minister, such person as may be appointed by the Central Government to be the Vice-Chairperson of the Board;

(c) six Ministers of the State Governments having administrative control of the departments of small scale industries or, as the case may be, micro, small and medium enterprises, to be appointed by the Central Government to represent such regions of the country as may be notified by the Central Government in this behalf, *ex officio*;

(d) three Members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;

(e) the Administrator of a Union territory to be appointed by the Central Government, *ex officio*;

(f) the Secretary to the Government of India in charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the micro, small and medium enterprises, *ex officio*;

(g) four Secretaries to the Government of India, to represent the Ministries of the Central Government dealing with commerce and industry, finance, food processing industries, labour and planning to be appointed by the Central Government, *ex officio*;

(h) the Chairman of the Board of Directors of the National Bank, *ex officio*;

(i) the Chairman and managing director of the Board of Directors of the Small Industries Bank, *ex officio*;

(j) the Chairman, Indian Banks Association, *ex officio*;

(k) one officer of the Reserve Bank, not below the rank of an Executive Director, to be appointed by the Central Government to represent the Reserve Bank;

(l) twenty persons to represent the associations of micro, small and medium enterprises, including not less than three persons representing associations of women's enterprises and not less than three persons representing associations of micro enterprises, to be appointed by the Central Government;

(m) three persons of eminence, one each from the fields of economics, industry and science and technology, not less than one of whom shall be a woman, to be appointed by the Central Government;

(n) two representatives of Central Trade Union Organisations, to be appointed by the Central Government; and

(o) one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the micro, small and medium enterprises to be appointed by the Central Government, who shall be the Member-Secretary of the Board, *ex officio*.

(4) The term of office of the members of the Board, other than *ex officio* members of the Board, the manner of filling vacancies, and the procedure to be followed in the discharge of their functions by the members of the Board, shall be such as may be prescribed:

Provided that the term of office of an *ex officio* member of the Board shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is such a member.

(5) No act or proceedings of the Board shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Board; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Board; or

(c) any irregularity in the procedure of the Board not affecting the merits of the case.

(6) The Board shall meet at least once in every three months in a year.

(7) The Board may associate with itself, in such manner and for such purposes as it may deem necessary, any person or persons whose assistance or advice it may desire in complying with any of the provisions of this Act and a person so associated shall have the right to take part in the discussions of the Board relevant to the purposes for which he has been associated but shall not have the right to vote.

(8) Without prejudice to sub-section (7) the Chairperson of the Board shall, for not less than two of the meetings of the Board in a year, invite such Ministers of the State Governments having administrative control of the departments of small scale industries or, as the case may be, the micro, small and medium enterprises, or the Administrators of Union territories and representatives of such other associations of micro, small and medium enterprises, as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.

(9) It is hereby declared that the office of member of the Board shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament.

Removal of
member from
Board

4. (1) The Central Government may remove a member of the Board from it, if he—

(a) is, or at any time has been, adjudged as insolvent; or

(b) is, or becomes, of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) refuses to act or becomes incapable of acting as a member of the Board; or

(d) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(e) has so abused, in the opinion of the Central Government, his position as a member of the Board as to render his continuance in the Board detrimental to the interests of the general public.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no member shall be removed from his office on the grounds specified in clauses (c) to (e) of that sub-section unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5. The Board shall, subject to the general directions of the Central Government, perform all or any of the following functions, namely:—

Functions of Board.

(a) examine the factors affecting the promotion and development of micro, small and medium enterprises and review the policies and programmes of the Central Government in regard to facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of such enterprises and the impact thereof on such enterprises;

(b) make recommendations on matters referred to in clause (a) or on any other matter referred to it by the Central Government which, in the opinion of that Government, is necessary or expedient for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of the micro, small and medium enterprises; and

(c) advise the Central Government on the use of the Fund or Funds constituted under section 12.

6. Subject to other provisions of this Act, the Member-Secretary of the Board shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Powers and functions of Member-Secretary of Board.

CHAPTER III

CLASSIFICATION OF ENTERPRISES, ADVISORY COMMITTEE AND MEMORANDUM OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

65 of 1951.

7. (1) Notwithstanding anything contained in section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government may, for the purposes of this Act, by notification and having regard to the provisions of sub-sections (4) and (5), classify any class or classes of enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership firm, company or undertaking, by whatever name called,—

Classification of enterprises.

65 of 1951

(a) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as—

(i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty-five lakh rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty-five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees;

(b) in the case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as—

(i) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees; or

(iii) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees.

Explanation 1.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that in calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development,

industrial safety devices and such other items as may be specified, by notification, shall be excluded.

Explanation 2.—It is clarified that the provisions of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, shall be applicable to the enterprises specified in sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (1) of this section. 65 of 1951.

(2) The Central Government shall, by notification, constitute an Advisory Committee consisting of the following members, namely:—

(a) the Secretary to the Government of India in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the small and medium enterprises who shall be the Chairperson, *ex officio*;

(b) not more than five officers of the Central Government possessing necessary expertise in matters relating to micro, small and medium enterprises, members, *ex officio*;

(c) not more than three representatives of the State Governments, members, *ex officio*; and

(d) one representative each of the associations of micro, small and medium enterprises, members, *ex officio*.

(3) The Member-Secretary of the Board shall also be the *ex officio* Member-Secretary of the Advisory Committee.

(4) The Central Government shall, prior to classifying any class or classes of enterprises under sub-section (1), obtain the recommendations of the Advisory Committee.

(5) The Advisory Committee shall examine the matters referred to it by the Board in connection with any subject referred to in section 5 and furnish its recommendations to the Board.

(6) The Central Government may seek the advice of the Advisory Committee on any of the matters specified in section 9, 10, 11, 12 or 14 of Chapter IV.

(7) The State Government may seek advice of the Advisory Committee on any of the matters specified in the rules made under section 30.

(8) The Advisory Committee shall, after considering the following matters, communicate its recommendations or advice to the Central Government or, as the case may be, State Government or the Board, namely:—

(a) the level of employment in a class or classes of enterprises;

(b) the level of investments in plant and machinery or equipment in a class or classes of enterprises;

(c) the need of higher investment in plant and machinery or equipment for technological upgradation, employment generation and enhanced competitiveness of the class or classes of enterprises;

(d) the possibility of promoting and diffusing entrepreneurship in micro, small or medium enterprises; and

(e) the international standards for classification of small and medium enterprises.

(9) Notwithstanding anything contained in section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and clause (h) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, the Central Government may, while classifying any class or classes of enterprises under sub-section (1), vary, from time to time, the criterion of investment and also consider criteria or standards in respect of employment or turnover of the enterprises and include in such classification the micro or tiny enterprises or the village enterprises, as part of small enterprises. 65 of 1951. 61 of 1956.

8. (1) Any person who intends to establish,—

(a) a micro or small enterprise, may, at his discretion; or

(b) a medium enterprise engaged in providing or rendering of services may, at his discretion; or

(c) a medium enterprise engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951,

Memorandum of micro, small and medium enterprises.

65 of 1951

shall file the memorandum of micro, small or, as the case may be, of medium enterprise with such authority as may be specified by the State Government under sub-section (4) or the Central Government under sub-section (3);

Provided that any person who, before the commencement of this Act, established—

(a) a small scale industry and obtained a registration certificate, may, at his discretion; and

(b) an industry engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, having investment in plant and machinery of more than one crore rupees but not exceeding ten crore rupees and, in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 filed an Industrial Entrepreneur's Memorandum,

65 of 1951

shall within one hundred and eighty days from the commencement of this Act, file the memorandum, in accordance with the provisions of this Act.

(2) The form of the memorandum, the procedure of its filing and other matters incidental thereto shall be such as may be notified by the Central Government after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf.

(3) The authority with which the memorandum shall be filed by a medium enterprise shall be such as may be specified, by notification, by the Central Government.

(4) The State Government shall, by notification, specify the authority with which a micro or small enterprise may file the memorandum.

(5) The authorities specified under sub-sections (3) and (4) shall follow, for the purposes of this section, the procedure notified by the Central Government under sub-section (2).

CHAPTER IV

MEASURES FOR PROMOTION, DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

9. The Central Government may, from time to time, for the purposes of facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises, particularly of the micro and small enterprises, by way of development of skill in the employees, management and entrepreneurs, provisioning for technological upgradation, marketing assistance or infrastructure facilities and cluster development of such enterprises with a view to strengthening backward and forward linkages, specify, by notification, such programmes, guidelines or instructions, as it may deem fit.

Measures for promotion and development.

10. The policies and practices in respect of credit to the micro, small and medium enterprises shall be progressive and such as may be specified in the guidelines or instructions issued by the Reserve Bank, from time to time, to ensure timely and smooth flow of credit to

Credit facilities.

such enterprises, minimise the incidence of sickness among and enhance the competitiveness of such enterprises.

Procurement preference policy.

11. For facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government may, by order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Funds.

12. There shall be constituted, by notification, one or more Funds to be called by such name as may be specified in the notification and there shall be credited thereto any grants made by the Central Government under section 13.

Grants by Central Government.

13. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit to the Fund or Funds by way of grants for the purposes of this Act, such sums of money as that Government may consider necessary to provide.

Administration and utilisation of Fund or Funds.

14. (1) The Central Government shall have the power to administer the Fund or Funds in such manner as may be prescribed.

(2) The Fund or Funds shall be utilised exclusively for the measures specified in sub-section (1) of section 9.

(3) The Central Government shall be responsible for the coordination and ensuring timely utilisation and release of sums in accordance with such criteria as may be prescribed.

CHAPTER V

DELAYED PAYMENTS TO MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Liability of buyer to make payment.

15. Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefor on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day:

Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed forty-five days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance.

Date from which and rate at which interest is payable.

16. Where any buyer fails to make payment of the amount to the supplier, as required under section 15, the buyer shall, notwithstanding anything contained in any agreement between the buyer and the supplier or in any law for the time being in force, be liable to pay compound interest with monthly rests to the supplier on that amount from the appointed day or, as the case may be, from the date immediately following the date agreed upon, at three times of the bank rate notified by the Reserve Bank.

Recovery of amount due.

17. For any goods supplied or services rendered by the supplier, the buyer shall be liable to pay the amount with interest thereon as provided under section 16.

Reference to Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

18. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any party to a dispute may, with regard to any amount due under section 17, make a reference to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Council shall either itself conduct conciliation in the matter or seek the assistance of any institution or centre providing alternate dispute resolution services by making a reference to such an institution or centre, for conducting conciliation and the provisions of sections 65 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to such a dispute as if the conciliation was initiated under Part III of that Act.

(3) Where the conciliation initiated under sub-section (2) is not successful and stands terminated without any settlement between the parties, the Council shall either itself take up the dispute for arbitration or refer it to any institution or centre providing alternate dispute resolution services for such arbitration and the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall then apply to the dispute as if the arbitration was in pursuance of an arbitration agreement referred to in sub-section (1) of section 7 of that Act.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Micro and Small Enterprises Facilitation Council or the centre providing alternate dispute resolution services shall have jurisdiction to act as an Arbitrator or Conciliator under this section in a dispute between the supplier located within its jurisdiction and a buyer located anywhere in India.

(5) Every reference made under this section shall be decided within a period of ninety days from the date of making such a reference.

19. No application for setting aside any decree, award or other order made either by the Council itself or by any institution or centre providing alternate dispute resolution services to which a reference is made by the Council, shall be entertained by any court unless the appellant (not being a supplier) has deposited with it seventy-five per cent. of the amount in terms of the decree, award or, as the case may be, the other order in the manner directed by such court:

Application for setting aside decree, award or order.

Provided that pending disposal of the application to set aside the decree, award or order, the court shall order that such percentage of the amount deposited shall be paid to the supplier, as it considers reasonable under the circumstances of the case, subject to such conditions as it deems necessary to impose.

20. The State Government shall, by notification, establish one or more Micro and Small Enterprises Facilitation Councils, at such places, exercising such jurisdiction and for such areas, as may be specified in the notification.

Establishment of Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

21. (1) The Micro and Small Enterprise Facilitation Council shall consist of not less than three but not more than five members to be appointed from amongst the following categories, namely:—

Composition of Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

(i) Director of Industries, by whatever name called, or any other officer not below the rank of such Director, in the Department of the State Government having administrative control of the small scale industries or, as the case may be, micro, small and medium enterprises; and

(ii) one or more office-bearers or representatives of associations of micro or small industry or enterprises in the State; and

(iii) one or more representatives of banks and financial institutions lending to micro or small enterprises; or

(iv) one or more persons having special knowledge in the field of industry, finance, law, trade or commerce.

(2) The person appointed under clause (i) of sub-section (1) shall be the Chairperson of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council.

(3) The composition of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, the manner of filling vacancies of its members and the procedure to be followed in the discharge of their functions by the members shall be such as may be prescribed by the State Government.

22. Where any buyer is required to get his annual accounts audited under any law for the time being in force, such buyer shall furnish the following additional information in his annual statement of accounts, namely:—

Requirement to specify unpaid amount with interest in the annual statement of accounts.

(i) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;

(ii) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(iii) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;

(iv) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(v) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23.

Interest not to be allowed as deduction from income.

23. Notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, 1961, the amount of interest payable or paid by any buyer, under or in accordance with the provisions of this Act, shall not, for the purposes of computation of income under the Income-tax Act, 1961, be allowed as deduction. 43 of 1961.

Overriding effect.

24. The provisions of sections 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

Scheme for closure of business of micro, small and medium enterprises.

25. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Central Government may, with a view to facilitating closure of business by a micro, small or medium enterprise, not being a company registered under the Companies Act, 1956, notify a Scheme within one year from the date of commencement of this Act. 1 of 1956.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Appointment of officers and other employees.

26. (1) The Central Government or the State Government may appoint such officers with such designations and such other employees as it thinks fit for the purposes of this Act and may entrust to them such of the powers and functions under this Act as it may deem fit.

(2) The Officers appointed under sub-section (1) may, for the purposes of this Act, by order require any person to furnish such information, in such form, as may be prescribed.

Penalty for contravention of section 8 or section 22 or section 26.

27. (1) Whoever intentionally contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions contained in sub-section (1) of section 8 or sub-section (2) of section 26 shall be punishable—

(a) in the case of the first conviction, with fine which may extend to rupees one thousand; and

(b) in the case of second or subsequent conviction, with fine which shall not be less than rupees one thousand but may extend to rupees ten thousand.

(2) Where a buyer contravenes the provisions of section 22, he shall be punishable with fine which shall not be less than rupees ten thousand.

Jurisdiction of courts.

28. No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

Power to make rules.

29. (1) The Central Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the term of office of the members of the Board, the manner of filling vacancies, and the procedure to be followed in the discharge of functions by the members of the Board under sub-section (4) of section 3;

- (b) the powers and functions of the Member-Secretary under section 6;
- (c) the manner in which the Fund may be administered under sub-section (1) of section 14;
- (d) the criteria based on which sums may be released under sub-section (3) of section 14;
- (e) the information to be furnished and the form in which it is to be furnished under sub-section (2) of section 26; and
- (f) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.

(3) Every notification issued under section 9 and every rule made by the Central Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the notification or rule or both Houses agree that the notification or rule should not be made, the notification or rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or rule.

30. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power to
make rules
by State
Government.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the composition of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, the manner of filling vacancies of the members and the procedure to be followed in the discharge of their functions by the members of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council under sub-section (3) of section 21;
- (b) any other matter which is to be or may be, prescribed under this Act.

(3) The rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of the State Legislature where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature, before that House.

31. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Power to
remove
difficulties.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

32. (1) The Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertakings Act, 1993 is hereby repealed.

Repeal of Act
32 of 1993.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed under sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

K. N. CHATURVEDI,
Secy. to the Govt. of India.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड

3. बोर्ड की स्थापना।
4. बोर्ड से सदस्य का हटाया जाना।
5. बोर्ड के कृत्य।
6. बोर्ड के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य।

अध्याय 3

उद्यमों का वर्गीकरण, सलाहकार समिति और सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

7. उद्यमों का वर्गीकरण।
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन।

अध्याय 4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, विकास और वृद्धि के उपाय

9. संवर्धन और विकास के उपाय।
10. उधार सुविधाएं।
11. उपायन अधिमान नीति।
12. निधियां।
13. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।
14. निधि या निधियों का प्रशासन और उपयोग।

अध्याय 5

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित संदाय

15. संदाय करने का क्रेता का दायित्व।

धाराएं

16. वह तारीख जिससे और वह दर जिस पर ब्याज संदेय है।
17. देय रकम की वसूली।
18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिपद् को निर्देश।
19. डिक्री, पंचाट या आदेश अगस्त करने के लिए आवेदन।
20. उद्योग सुविधा परिपद् की स्थापना।
21. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिपद् की संरचना।
22. वार्षिक लेखा विवरण में ब्याज सहित अतःदत्त रकम विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा।
23. ब्याज का आय से कटौती के रूप में अनुज्ञात न किया जाना।
24. अध्यारोही प्रभाव।
25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारखानों की बंदी के लिए स्कीम।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

26. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
27. धारा 8 या धारा 22 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति।
28. न्यायालयों की अधिकारिता।
29. नियम बनाने की शक्ति।
30. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।
31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
32. अधिनियम का निरसन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 27)

[16 जून, 2006]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने
और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनसे संबंधित या उनके
आनुवंशिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

का 65

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 के अधीन संघ द्वारा कतिपय उद्योगों
के नियंत्रण की समीचीनता के बारे में एक घोषणा की गई थी;

और यह समीचीन है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने
और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध
किया जाए।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का वह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध को प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सलाहकार समिति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से प्रदायकर्ता से क्रेता द्वारा किसी माल या किन्हीं सेवाओं की स्वीकृति के दिन या समझी गई स्वीकृति के दिन से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति के ठीक बाद का अगला दिन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "स्वीकृति के दिन" से अभिप्रेत है,—

(क) माल के वारतविक परिदान या सेवाओं के वस्तुतः दिए जाने का दिन; या

(ख) जहां माल के परिदान या सेवाओं के दिए जाने के दिन से पन्द्रह दिन के भीतर क्रेता द्वारा माल या सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में लिखित में कोई आक्षेप किया जाता है, वहां वह दिन, जिसको प्रदायकर्ता द्वारा ऐसा आक्षेप दूर किया जाता है;

(ii) "समझी गई स्वीकृति के दिन" से जहां माल के परिदान या सेवाओं के दिए जाने के दिन से पन्द्रह दिन के भीतर माल या सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में क्रेता द्वारा लिखित रूप से कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, वहां माल के वास्तविक परिदान या सेवाओं के वस्तुतः दिए जाने का दिन अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "क्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता से प्रतिकूल के लिए कोई माल क्रय करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है;

(ङ) "उद्यम" से ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान या कोई अन्य स्थापन, अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में, किसी रीति से लगा हुआ है या कोई सेवा या सेवाओं को उपलब्ध कराने या उनको देने में लगा हुआ है;

(च) "माल" से हर प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है जो अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न है;

(छ) "मध्यम उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iii) या खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "सूक्ष्म उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(झ) "राष्ट्रीय बैंक" से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

सो :

विष

को महामहि
दिया गया है
दिनांक 17
अधिसूचना 3

गैर सभाओं
संबन्धित अधिनियम

गवर्नर : राशोत

प्रधान सचिव
सभी राज्यों

1934 का 2

(उ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(ड) "लघु उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(इ) "प्रदायकर्ता" से ऐसा सूक्ष्म या लघु उद्यम अभिप्रेत है, जिसने धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यहां कोई ज्ञापन फाइल किया है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

1956 का 1

(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

1956 का 1

(ii) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र का लघु उद्योग विकास निगम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या गठित कोई कंपनी, सहकारी सोसाइटी, न्यास या कोई निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, और जो सूक्ष्म या लघु उद्यम द्वारा उत्पादित माल के विक्रय में लगा हुआ है तथा ऐसे उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं दे रहा है;

1989 का 39

(ण) "लघु उद्योग बैंक" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है;

(त) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के नाम से ज्ञात एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

बोर्ड की स्थापना।

(2) बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।

(3) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, जो बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का राज्यमंत्री या कोई उपमंत्री, यदि कोई हो, जो बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां कोई ऐसा राज्यमंत्री या उपमंत्री नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के लिए नियुक्त किया जाए;

(ग) देश के ऐसे क्षेत्रों का जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले, यथास्थिति, लघु उद्यमों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली राज्य सरकारों के छह मंत्री, पदेन;

(घ) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो सदस्य लोक सभा द्वारा और एक सदस्य राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, पदेन;

(च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, पदेन;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित और उद्योग, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, श्रम और नियोजन से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले भारत सरकार के चार सचिव, पदेन;

(ज) राष्ट्रीय बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन;

(झ) लघु उद्योग बैंक के निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पदेन;

(ञ) अध्यक्ष, भारतीय बैंक संगम, पदेन;

(ट) रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला रिजर्व बैंक का एक अधिकारी, जो किसी कार्यपालक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो;

(ठ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीस व्यक्ति, जिनमें अंतर्गत कम से कम तीन व्यक्ति महिला उद्यम संगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले और कम से कम तीन व्यक्ति सूक्ष्म उद्यम संगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें अर्थशास्त्र, उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक होगा, उनमें कम से कम एक महिला होगी;

(ढ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के दो प्रतिनिधि; और

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जो बोर्ड का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(4) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों को भरने की रीति और बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वाहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु यह कि बोर्ड के किसी पदेन सदस्य को पदावधि, तब तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके कारण ऐसा वह सदस्य है, धारण करता है।

(5) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली हो।

(6) बोर्ड, किसी वर्ष में प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(7) बोर्ड, अपने साथ, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनकी सहायता या सलाह की, वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में वांछा करे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सहयोजित कर सकेगा और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को, ऐसे प्रयोजनों से, जिनके लिए उसे सहयोजित किया गया है, सुसंगत बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(8) उपधारा (7) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड का अध्यक्ष, एक वर्ष में बोर्ड की कम से कम दो बैठकों के लिए, यथास्थिति, लघु उद्योगों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकारों के ऐसे मंत्रियों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऐसे अन्य संगमों के प्रतिनिधियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, आमंत्रित करेगा।

(9) यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरहित नहीं करेगा।

1951 का

1951 का

4. (1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि—

बोर्ड से सदस्य का हटया जाना।

(क) वह न्यायनिर्णित दिवालिया है या किसी समय वह दिवालिया रहा है; या

(ख) वह विकृतचित्त का है या विकृतचित्त हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है; या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है; या

(घ) वह ऐसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध उठराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधभत्ता अंतर्वर्तित है; या

(ङ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका बोर्ड में बने रहना साधारण जनता के हित में हानिकारक है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उस उपधारा के खंड (ग) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर नहीं दे दिया गया हो।

5. बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के साधारण निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

बोर्ड के कृत्य।

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाली बातों की परीक्षा करना और संवर्धन और विकास सुकर बनाने तथा ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और ऐसे उद्यमों पर उसके प्रभाव के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विषयों पर या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी अन्य विषय पर, जो उस सरकार की राय में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए आवश्यक या समीचीन है, सिफारिशें करना; और

(ग) धारा 12 के अधीन गठित निधि या निधियों के उपयोग के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

6. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड का सदस्य-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

बोर्ड के सदस्य-सचिव की शक्तियाँ और कृत्य।

अध्याय 3

उद्यमों का वर्गीकरण, सलाहकार समिति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

1951 का 65

7. (1) केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा और उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम हों, चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी,—

उद्यमों का वर्गीकरण।

1951 का 65

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में,—

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, किन्तु पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपये से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे उद्यमों को दशा में,—

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहाँ उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहाँ उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहाँ उपस्कर में विनिधान दो करोड़ रुपये से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

1951 का 65

स्पष्टीकरण 1—शर्काओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करने में प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की लागत को, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपवर्गित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29 के उपखंड, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट उद्यमों की लागू होंगे।

1951 का 65

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार का सचिव जो पदेन अध्यक्ष होगा;

1951 का 65

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विषयों में आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले केन्द्रीय सरकार के पांच से अनधिक अधिकारी सदस्य, पदेन;

(ग) राज्य सरकारों के तीन से अनधिक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रत्येक संगम का एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन।

(3) बोर्ड का सदस्य सचिव सलाहकार समिति का पदेन सदस्य सचिव भी होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत करने से पूर्व सलाहकार समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करेगी।

(5) सलाहकार समिति, धारा 5 में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में बोर्ड द्वारा इसे निर्दिष्ट विषयों की प्रतीक्षा करेगी और बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अध्याय 4 की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 14 में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर सलाहकार समिति से भी सलाह ले सकेगी।

(7) राज्य सरकार धारा 30 के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर सलाहकार समिति से सलाह ले सकेगी।

(8) सलाहकार समिति, निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या बोर्ड को अपनी सिफारिशें या सलाह संसूचित करेगी, अर्थात्:—

(क) उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों में नियोजन का स्तर;

(ख) उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों में संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधानों का स्तर;

(ग) उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में उच्चतर विनिधान, नियोजन के सृजन और बढ़ाई गई प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता;

(घ) सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों में उद्यमता के संवर्धन और विस्तार करने की संभाव्यता;

(ङ) लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक।

(9) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उद्यमों के किसी वर्ग या वर्गों को वर्गीकृत करते समय, विनिधान के मानदंड में समथ-समथ पर, फेरफार कर सकेगी और उद्यमों के नियोजन या आवर्त के संबंध में मानदंड या मानकों

1951 का 65

1956 का 61

पर भी विचार कर सकेंगे तथा ऐसे वर्गीकरण में सूक्ष्म या छोटे उद्यमों या ग्राम उद्यमों को लघु उद्यमों के भाग के रूप में सम्मिलित कर सकेंगे।

8. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) अपने विवेकानुसार कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम, या

(ख) अपने विवेकानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई मध्यम उद्यम; अधिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन।

1951 का 65

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई मध्यम उद्यम,

स्थापित करने का आशय रखता हो, ऐसे प्राधिकारी के पास, जो उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यथास्थिति, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम का ज्ञापन फाइल करेगा:

परंतु कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व—

(क) कोई लघु उद्योग स्थापित किया है और उसने स्वविवेकानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है; और

1951 का 65

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक के संयंत्र और मशीनरी में विनिधान वाले किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा कोई उद्योग स्थापित किया है और उसने भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 के अनुसरण में कोई औद्योगिक उद्यम ज्ञापन फाइल किया था,

इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ज्ञापन फाइल करेगा।

(2) ज्ञापन का प्रारूप, उसे फाइल करने की प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक अन्य विषय वे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् अधिसूचित किए जाएं।

(3) वह प्राधिकारी, जिसके पास किसी मध्यम उद्यम द्वारा ज्ञापन फाइल किया जाएगा, ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगी, जिसके पास कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम ज्ञापन फाइल कर सकेगा।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

अध्याय 4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, विकास और वृद्धि के उपाय

9. केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विशिष्ट रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों में, कर्मचारियों, प्रबंध तंत्र और उद्यमियों में कार्यक्षमता के विकास, पिछड़े और उन्नत संयोजनों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से ऐसे उद्यमों में विपणन सहायता या अवसरचर्चात्मक सुविधाओं और उनके सामूहिक विकास की प्रौद्योगिक उन्नति के लिए व्यवस्था करके उनके संवर्धन और विकास को सुकर बनाने के तथा उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे कार्यक्रम, मार्गदर्शिका सिद्धांत या अनुदेश विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जो वह ठीक समझे।

संवर्धन और विकास के उपाय।

उधार सुविधाएं।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार देने के संबंध में नीतियां और पद्धतियां प्रणामी और ऐसी होंगी, जो रिजर्व बैंक द्वारा, ऐसे उद्यमों को उधार के समय पर और सुचारु प्रवाह, उनके बीच रूग्णता के संपात को कम करने और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, समय-समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा, जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

1996 का 26

उत्पादन अधिमान नीति।

11. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास को सुकर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, समय-समय पर, आदेश द्वारा, ऐसे माल और सेवाओं के, जिनका सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा, यथास्थिति, उसके मंत्रालयों या विभागों या उसकी सहायता प्राप्त संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा उत्पादन और व्यवस्था की गई हो, उत्पादन के संबंध में, अधिमानी नीतियां, अधिसूचित कर सकेगी।

निधियां।

12. अधिसूचना द्वारा ऐसे गाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ज्ञात होने वाली एक या अधिक निधियां गठित की जा सकेंगी और उनमें धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कोई अनुदान जमा किए जाएंगे।

1996 का 1

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

13. केंद्रीय सरकार, संसद की विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग करने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुदानों के रूप में निधि या निधियों में ऐसी धनराशियां, जमा कर सकेगी, जिन्हें वह सरकार प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे।

निधि या निधियों का प्रशासन और उपयोग।

14. (1) केंद्रीय सरकार को उस रीति में, जो विहित की जाए, निधि या निधियों का प्रशासन करने की शक्ति होगी।

(2) निधि या निधियों का उपयोग अनन्य रूप से धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार उस मानदंड के अनुसार, जो विहित किया जाए, राशियों के समन्वय और समय पर उपयोग तथा निर्मोचन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

अध्याय 5

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित संदाय

संदाय करने का क्रेता का दायित्व।

15. जहां कोई प्रदायकर्ता, किसी क्रेता को किसी माल का प्रदाय करता है या कोई सेवा देता है, वहां क्रेता अपने और प्रदायकर्ता के बीच लिखित रूप में करार पाई गई तारीख को या उसके पूर्व अथवा जहां इत निमित्त कोई करार नहीं है, वहां नियत दिन के पूर्व, उसके लिए संदाय करेगा:

परन्तु किसी भी दशा में, प्रदायकर्ता और क्रेता के बीच लिखित रूप में करार पाई गई अवधि, स्वीकृति की तारीख या समझी गई स्वीकृति की तारीख से पैंतालीस दिन से अधिक नहीं होगी।

यह तारीख जिससे और यह पर किस पर ब्याज संदेय है।

16. जहां कोई क्रेता प्रदायकर्ता को धारा 15 की अपेक्षानुसार रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां क्रेता, अपने और प्रदायकर्ता के बीच किसी करार में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रदायकर्ता को यथास्थिति, नियत दिन से या करार पाई गई तारीख के तौक बाद की तारीख से उस रकम पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर मासिक अवशेष के साथ तीन गुणा चक्रवृद्धि ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

देय रकम की वसूली।

17. क्रेता, प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए किसी माल या दी गई सेवाओं के लिए धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित ब्याज सहित रकम का संदाय करने का दायी होगा।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकारीकरण परिषद् को निर्देश।

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी विवाद का कोई पक्षकार धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकारीकरण परिषद् को निर्देश कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद् या तो स्वयं मामले में सुलह कार्य करेगी या ऐसी किसी संस्था या केन्द्र से सहायता लेगी जो ऐसी किसी संस्था या केन्द्र को ऐसा सुलह कार्य करने संबंधी निर्देश करके आनुकूलिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराती हो और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से धारा 81 के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे मानो सुलह उस अधिनियम के भाग 3 के अधीन आरंभ की गई हो।

1996 का 26

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आरंभ की गई सुलह सफल नहीं होती है और पक्षकारों के बीच कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई है वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् कार्रवाई करेगी या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए आनुकूलिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे मानो वह उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो।

1996 का 26

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या आनुकूलिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्ता और भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन माध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी।

(5) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक निर्देश का विनिश्चय ऐसा निर्देश किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

19. परिषद् द्वारा स्वयं या आनुकूलिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी ऐसी संस्था या केन्द्र द्वारा, जिसे परिषद् द्वारा निर्देश किया गया है, पारित की गई किसी डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन किसी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (जो प्रदायकर्ता नहीं है) ने ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित रीति में, यथास्थिति, डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश के निबंधानुसार उस रकम का पंचहत्तर प्रतिशत उसके पास जमा न कर दिया हो:

डिक्री, पंचाट या
आदेश अपास्त करने
के लिए आवेदन।

परंतु डिक्री, पंचाट या आदेश को अपास्त करने संबंधी आवेदन का निपटारा लंबित रहने तक न्यायालय यह आदेश करेगा कि जमा की गई रकम की ऐसी प्रतिशतता का जो वह मामले की परिस्थितियों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना आवश्यक समझे, युक्तियुक्त समझे और प्रदायकर्ता को संदाय किया जाएगा।

20. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की स्थापना करेगी।

सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुकरीकरण परिषद्
की स्थापना।

21. (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् ऐसे तीन से अन्यून, किंतु पांच से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:—

सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुकरीकरण परिषद्
की संरचना।

(i) यथास्थिति, लघु उद्योगों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकार के विभाग में उद्योग निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या ऐसे अन्य अधिकारी, जो ऐसे निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ii) राज्य में सूक्ष्म या लघु उद्योग अथवा उद्यमों के संगमों के एक या अधिक पदाधिकारी या प्रतिनिधि; और

(iii) सूक्ष्म या लघु उद्यमों को उधार देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एक या अधिक प्रतिनिधि; या

(iv) उद्योग, वित्त, विधि, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिपद का अध्यक्ष होगा।

(3) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिपद की संरचना, उसके सदस्यों में रिक्तियां भरे जाने की रीति और सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

वार्षिक लेखा विवरण में ब्याज सहित असंदत रकम विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा।

22. जहां किसी क्रेता से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपने वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसा क्रेता अपने वार्षिक लेखा के विवरण में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी देगा, अर्थात्:—

(i) किसी प्रदायकर्ता को प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में शेष असंदत मूल रकम और उस पर देय ब्याज (पृथक् रूप से दर्शित किया जाएगा);

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात् प्रदायकर्ता को किए गए संदाय की रकम सहित धारा 16 के निर्बंधों के अनुसार क्रेता द्वारा संदत ब्याज की रकम;

(iii) संदाय करने में हुए विलंब की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की रकम (जिसका संदाय वर्ष के दौरान किंतु नियत दिन के पश्चात् किया गया है), किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना;

(iv) ऐसे ब्याज की रकम, जो प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रोद्भूत और असंदत रह गई रकम; और

(v) धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में नामजूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसी अतिरिक्त ब्याज की रकम जो पश्चात्पूर्व वर्षों में भी ऐसी तारीख तक जब तक यथा उपरोक्त देय ब्याज का वस्तुतः लघु उद्यम को संदाय नहीं कर दिया जाता, देय और संदेय रह गई है।

ब्याज का आय से कटौती के रूप में अनुज्ञात न किया जाना।

अध्यादेशी प्रभाव।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारबार को बंदी के लिए स्वीम।

23. आय-कर अधिनियम, 1961 में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्रेता द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके अनुसार संदेय या संदत ब्याज की रकम, आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

1961 का 43

24. धारा 15 से धारा 23 तक के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

25. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी नहीं है, कारबार बंद करने को सुकर बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर एक स्वीम अधिसूचित कर सकेगी।

1956 का 1

अध्याय 6

प्रकीर्ण

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

26. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे पदनामों वाले उतने अधिकारियों और उतने अन्य कर्मचारियों को, जितने वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से ऐसे प्ररूप में, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेंगे, जो विहित की जाए।

27. (1) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 26 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध का साक्ष्य उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह—

धारा 8 या धारा 22 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

2.in

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का न होगा किंतु दस हजार रुपये तक का हो सकेगा,

दंडनीय होगा।

(2) जहां कोई क्रेता धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

28. किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

न्यायालयों की अधिकारिता।

29. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सुभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियाँ भरने की रीति और धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) धारा 6 के अधीन सदस्य सचिव की शक्तियाँ और कृत्य;

(ग) वह रीति, जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निधि प्रशासित की जा सकेगी;

(घ) वह मानदंड जिस पर धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन रकम निर्धारित की जा सकेगी;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली जानकारी और वह प्ररूप, जिसमें वह दी जाएगी; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या जो चिह्नित किया जाए।

(3) धारा 9 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना और इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना या नियम अथवा दोनों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसी अधिसूचना या नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस अधिसूचना या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

30. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वागामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं बिंदुओं के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की संरचना, सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाई को दूर करने की शक्ति।

31. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अधिनियम का निरसन।

32. (1) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को वित्तवित्त संदाय पर व्याज अधिनियम, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

1993 का 32

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

राष्ट्रपति ने दि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन्टरप्राइजेज डेवलपमेंट ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.